

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 701(पंरावि/प्रशा.2/सहा. अभि./स्थाना.पद./19/2782 जयपुर, दिनांक :- 20.08.2019

आदेश

निम्न लिखित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थानान्तरण /पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	श्री बृजपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड	अन्यत्र	आदेशों की प्रतीक्षा में पैतृक विभाग, में
2.	श्री कृष्ण मोहन	सहायक अभियन्ता (जलग्रहण)	पंचायत समिति झालारापटन जिला झालावाड	अन्यत्र	आदेशों की प्रतीक्षा में पैतृक विभाग, में
3.	श्री मनीष कुमार मीणा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली	पंचायत समिति टोडाभीम करौली	रिक्त पद पर
4.	श्री पूनम चन्द मेघवाल	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौडगढ	पंचायत समिति दोवडा डूंगरपुर	रिक्त पद पर
5.	श्री रमेश सोलंकी	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति झाडोल जिला उदयपुर	पंचायत समिति बडंगाव उदयपुर	रिक्त पद पर
6.	श्री रामरतन	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति बाली से जैतारण, स्थानान्तरणधीन	पंचायत समिति रायपुर जिला पाली	
7.	श्री शैलेन्द्र मीणा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति किशनगंज जिला बारा	अन्यत्र	आदेशों की प्रतीक्षा में विभाग, मुख्यालय पर
8.	श्री संजय हंस	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति जैतारण पाली	पंचायत समिति बावडी जोधपुर	श्री खम्बू राम सियाग के स्थान पर
9.	श्री खम्बू राम सियाग	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर	आदेशों की प्रतीक्षा में विभाग, मुख्यालय पर	
10.	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति, आहोर जिला जालौर	पंचायत समिति तिवरी जोधपुर	रिक्त पद पर
11.	श्री हेमराज मीणा	सहायक अभियन्ता	पं.स. बामनवास जिला सवाईमाधोपुर	पंचायत समिति बौली जिला सवाईमाधोपुर	रिक्त पद पर
12.	श्री भैरू सिंह	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति रोहट जिला पाली	पंचायत समिति देसूरी जिला पाली	रिक्त पद पर

20/8/2019

13.	श्री राजेश कुमार	सहायक अभियन्ता (जलग्रहण)	पंचायत सरदारशहर चूरु	समिति जिला	अन्यत्र	आदेशों की प्रतिका में पैतृक विभाग, में
14.	श्री चन्द्रशेखर यादव	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति पाली	पंचायत समिति खारची जिला पाली		रिक्त पद पर

उपरोक्त अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से सूचना भिजवायेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

()
20/8/2024
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलेक्टर, संबंधित ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित ।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ ।
9. निजी/आरक्षी पत्रावली ।

()
20/8/2024
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त